राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.No. F.37(5)/NHM/IM/2017/ Date:

दिशा–निर्देश

विषयः– ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट उपकरणों की सूचनाओं का नियमित आद्यतन (update) एवं परिशोधन (correction) करने के सम्बन्ध में।

राज्य में 2 अक्टूबर, 2015 से उपकरणों के प्रभावी प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए ई–उपकरण का क्रियान्वयन किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत अब तक संस्थानों (जिला अस्पताल से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) से 147 प्रकार के 49,900 बायोमेडिकल उपकरण एवं 36,536 अन्य उपकरण एवं इन्स्टरूमेंटस् की प्रविष्टी की जा चुकी है।

ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री की मॉनिटरिंग करने के दौरान संस्थान पर उपलब्ध उपकरणों की समीक्षा करने पर निम्न त्रुटियां एवं समस्याएं ज्ञात हुईः–

1. **इन्वेट्री–** जैसे ही संस्थान में नए उपकरण प्राप्त होते है, उनकी प्रविष्टि, ई–उपकरण में करावे। यदि कोई पूराने उपकरण किसी कारणवश दर्ज नहीं हो पायें है तो उस उपकरण का भी इन्द्राज करावे।
2. **CSR/Donation से प्राप्त उपकरण–** इन उपकरणों की प्रविष्टि भी आवश्यक रूप से ई–उपकरण में प्राप्त होते ही दर्ज करे तथा सप्लाईड बाय में डोनेशन ऑप्शन का चुनाव करे।
3. **इंस्टालेशन–** जिन उपकरणों की इंस्टालेशन डेस्क में उनकी इंस्टालेशन की एन्ट्री नहीं हुई है, उन उपकरणों की इंस्टालेशन डैस्क में एन्ट्री दर्ज करे।
4. **गारन्टी/वारन्टी–** जिन उपकरणों की गारन्टी या वारन्टी और एएमसी या सीएमसी में है तो उनका इन्द्राज गारन्टी मेंटेनेंस डेस्क में किया जाए। यह अत्यन्त आवश्यक है।
5. **उपकरणों के मॉडल नम्बर का इन्द्राज नहीं होना**– इस दशा में आप उस उपकरण का मॉडल नम्बर अपडेट करने के लिए MOIC की आईडी से मॉडिफाई रिक्वेस्ट भेज देवे और सीएमएचओ अप्रुवल के लिए अपने जिले के DNO या राज्य इन्वेंट्री सैल से अप्रुव करावे। अप्रुवल पश्चात् उस उपकरण की सूचना मॉडिफाई करे। यदि उपकरण का मॉडल नम्बर उपलब्ध नहीं है तो उस उपकरण का मॉडल नम्बर, मैन्यूफैक्चरर का नाम एवं पता तथा उसके सप्लायर का नाम एवं पता stateinventorycell@gmail.com पर भेजे। राज्य द्वारा मॉडल नम्बर जोड़ दिया जावेगा और आप उक्त उपकरण को मॉडिफाई कर लेवे।
6. **उपकरणों के स्टेटस में इन्वेंट्री मॉड्यूल में परिवर्तन करना –**

a. नॉन फंक्शनल एवं रिपेयरेबल है और वो रिपेयर कर दिए गए है तो उनका स्टेटस परिवर्तित करे।
b. उपकरण इंस्टालेशन पेण्डिंग में है और वो इंस्टाल कर दिया गया है तो उनका स्टेटस परिवर्तित करे।
c. उपकरण जो नॉट इन यूज़ में है और वो उपयोग में आने लगे है तो उनका स्टेटस परिवर्तित करे।
d. यदि कुछ उपकरणों का संस्थान पर कोई उपयोग होने की सम्भावना है, तो व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर उसको उपयोगी बनाने का प्रयास करे, अन्यथा उसको जिले के जरूरत वाले किसी अन्यत्र चिकित्सा संस्थान पर स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्ताव बनाकर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति हेतु राज्य कार्यालय को भेजे।
e. उपकरण जो लम्बे समय से नॉन फंक्शनल एवं नॉट रिपेयरेबल में है उन्हें कण्डम करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर उपकरण को साफ्टवेयर में से डिलीट करवाना।

7. **मॉडिफीकेशन–** जिन उपकरणों की मॉडिफाई रिक्वेस्ट आपके द्वारा भेजी गई थी उन्हे अप्रुव करवा कर उनमें मॉडिफिकेशन करे और यदि गलती से रिक्वेस्ट भेज दी गई है तो भी उस उपकरण को सलेक्ट कर मॉडिफाई पर क्लिक कर सेव कर देवे तथा मॉडिफाई नहीं करवाने की जगह डिलीट करवाना हो तो stateinventorycell@gmail.com पर ईमेल करे।
8. **प्रमाणीकरण–** जिन उपकरणों का डेटा सही प्रविष्ट है, उन्हें MOIC के द्वारा वेरिफाई करवाये।
9. **डिलीशन–** यदि आपके स्टॉक में किसी उपकरण का गलत इन्द्राज हो गया है या डबल इन्द्राज हो गया है। यदि उपकरण नॉन वेरिफाईड है तो उसे उपने स्तर पर डिलीट कर देवे। वेरिफाईड उपकरणों की डिलीशन रिक्वेस्ट MOIC की आईडी से डिलीट रिक्वेस्ट भेजे और साथ में राज्य मुख्यालय पर पूर्व में भेजे गए निर्धारित डिलीशन फॉरमेट में उपकरणों की सूचना उक्त ईमेल पर भेजे।
10. **Employee Master-** ई–उपकरण में Employee Master में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज की सूचना अपडेट करे। साथ में ही आपके संस्थान के ई–उपकरण पर काम करने वाले अन्य कर्मियों जैसे ऑपरेटर आदि की भी सूचना अपडेट करे।
11. **बारकोडिंग–** 147 प्रकार के बायोमेडिकल उपकरणों में जिन उपकरणों पर केटीपीएल बारकोडिंग से वंचित है, उन उपकरणों पर बारकोड का कार्य करवाए। इस हेतु जिला नोडल अधिकारी या ज़ोनल बायोमेडिकल इंजीनियर से सम्पर्क करे एवं न होने पर राज्य मुख्यालय पर सूचना देवे।
12. **रिपेयर एवं मेंटेनेंस–** जो उपकरण खराब पड़े है, जिनकी मरम्मत करवायी जानी है, उनकी मरम्मत करवाए। उनकी शिकायत केटीपीएल टोल फ्री नम्बर 1800–102–4930 या

ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कम्लेन्ट रेज़ डेस्क या प्लेस्टोर पर EMMS की मोबाइल एप के द्वारा दर्ज करावे।

13. **डिमाण्ड–** जिन उपकरणों की आपके संस्थान में आवश्यकता है, आप उनकी मांग सॉफ्टवेयर के डिमाण्ड मॉड्यूल में इन्द्राज कर देवे और साथ ही उसे MOIC के द्वारा वेरिफाई कर देवे।
14. **यूज़ेस–** यूज़ेस एलिजिबल इक्विपमेंट रिपोर्ट में आने वाले समस्त उपकरणों की उपयोग की सूचना यूज़ेस डेस्क में नियमित रूप से दर्ज करावे।

15. **आईडी/पासवर्ड–** यदि किसी संस्थान का यूज़र आईडी ब्लॉक हो गया है या पासवर्ड इनवेलिड आ रहा है तो रिसेट करने के लिए ईमेल आईडी itcell-rmsc-rj@nic.in पर यूज़र आईडी की सूचना के साथ मेल करावे।
16. **गाईडलाइन–** सॉफ्टवेयर सम्बन्धी सभी आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सामग्री राजस्वास्थ्य की वेबसाइट http://nrhmrajasthan.nic.in/E-Upkaran.asp पर उपलब्ध है।

उपरोक्त किसी भी दशा में कोई समस्या ज्ञात होती है तो राज्य मुख्यालय को ईमेल आई.डी stateinventorycell@gmail.com एवं हैल्पलाइन नम्बर 7597627008 पर अवगत करावे। इसके लिये सम्बन्धित जोन में कार्यरत जोनल बायो मेडिकल इन्जीनियर्स से सम्पर्क कर आवश्यक सहयोग ले सकते हैं।